सं. ओ.वि./एफ.डी./गुड़गांव/119-86/43622.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० टैम्पराईड इन्जिनियरिंग एण्ड एयरकन्डीशनिंग कम्पनी, 75 उद्योग विहार डुन्डाहेड़ा, गुड़गांव, के श्रमिक श्री रूप नाथ, पुत्र श्री खूब लाल सिंह, मकान नं. 27, कीर्ती नगर, झाण्डसा रोड, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिस्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री रूप नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 20 नवम्बर, 1986

सं० ओ० वि०/यमुना/144-86/43893.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० धनश्याम दास मैटल एण्ड सन्ज, जगाधरी, के श्रमिक श्री रणजीत सिंह, पुत्र श्री पारस राम, गांव उरजानी, डा० छछरोली, तह० जगाधरी, जिला अम्बाला तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसके इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रणजीत सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैरहाजिर हो कर नोकरी से पुर्नग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. यमुना/145-86/43899.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० धनश्याम दास मैटल एण्ड सन्ज, देवी भवन बाजार, जगाधरी, के श्रमिक श्री जय सिंह, पुत्र श्री पारस राम, गांव उरजानी, डा० छछरोली, तह० जगाधरी (अम्बाला) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री जय सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैरहाजिर होकर नौकरी से पुर्नग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

आर. एस. अग्रवाल,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।